न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 43/16 निर्णय दिनांकः– 03-08-2022
(जीसीएमएस संख्या 2016/00005)

1. खलीलखॉ पुत्र हाजी मुरादखॉ जाति मुसलमान निवासी चक 6 एसएसएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19–06–2015
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–
1. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 19–06–2015 जिसके द्वारा अपीलांट के स्मालपेच के विधिवत आवंटन एकतरफा तौर पर बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये निरस्त किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि तहसील पूगल के खेत खसरा नम्बर 12 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर93/2 के किला

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 1, 10 व 11 की 3 बीघा भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–03–2015 को आराजी जैर का आवंटन अपीलांट् के पक्ष में तमाम औपचारिकता पूर्ण करते हुए किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई। इस प्रकार अपीलांट् के आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी। अपीलांट् के आवंटन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके व पड़ौसी काश्तकारों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रिकार्ड है, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है, रकबा मौके पंर खाली है, रकबा विशेष आवंटन, पौंग बांध विस्थापित व वन विभाग हेतु आरक्षित नहीं है, हेतु आरक्षित नहीं है। इसी के साथ वादग्रस्त भूमि के बाबत् खेत पड़ौसियों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा स्मालपेच आवंटन की समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि का पात्र धोषित करते हुए आराजी जैर का आवंटन अपीलांट् के पक्ष में किसी गया था।

उन्होनें आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पश्चात् हीराराम पुत्र गोमाराम, बीरबलराम पुत्र भैराराम व सियाराम पुत्र केहराराम आदि ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि एक अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दी गई है, जो हमें बिना सूचना दिये कर दिया गया है, जिसको निरस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन कुण्ड के रूप में दर्ज थी। जबकि पूर्व में संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इस आश्य का कोई अंकन नहीं किया गया था। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मात्र अन्य काश्तकार के कथन मात्र पर अपीलांट् के विधिवत् आवंटन को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील को पारित करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन को निरस्त किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया था। अदालत मातहत के समक्ष इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होने की वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरमुमकिन कुण्ड दर्ज है, जिसे स्मालपेच के रूप में आवंटित नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के स्मालपेच आवंटन को विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि मौके पर गैर मुमकिन कुण्ड है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट् को प्राप्त नहीं हो सकती। लिहाजा अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–06–2015 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 13–05–2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट् खलीलखॉ द्वारा वादग्रस्त भूमि को बतौर स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा स्मालपेच आवंटन नियमों के तहत वादग्रस्त भूमि के संबंध व उसी मुरब्बें में निहित भूमि धारकों व अन्य काश्तकारों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में संबंधित तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में पड़ौसी काश्तकारों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया कि हीराराम पुत्र गोमाराम, बीरबलराम पुत्र भैराराम व सियाराम पुत्र केहराराम आदि पड़ौसी काश्तकार है, जिनके द्वारा अपीलांट् के पक्ष में आवंटन हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है, तथा वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने, रकबा मौके पर खाली होने, रकबा विशेष आवंटन, पौंग बांध विस्थापित व वन विभाग हेतु आरक्षित नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 19–03–2015 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट् के पक्ष में किया गया था। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है। इस प्रकार अपीलांट् के आवंटन की समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी।

तत्पश्चात् अदालत मातहत के समक्ष अन्य काश्तकार जिनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष सहमति स्वरूप अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, के द्वारा अदालत मातहत के समक्ष इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूमि का आवंटन स्वयं करवाना चाहते है, पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट दिनांक 11–05–2015 में संबंधित पटवारी द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया कि चक 12 बीएलडी बी के मुरब्बा नम्बर 93/2 के किला नम्बर 1, 10 व 11 जो मुताबिक गिरदावरी रिकार्ड कुण्ड के नाम दर्ज तथा जमाबन्दी सवंत् 2070–2073 में संदेहास्पद है, कुण्ड के नाम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जमाबन्दी में से काटा गया है, इसी प्रकार मौके पर जमीन पर कोई कुण्ड नहीं है तथा किला नम्बर 1 पर जिप्सम तथा कुछ लकड़िया पड़ी है, किला नम्बर 10 तथा 11 मौके पर खाली है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत् सरपंच, ग्राम पंचायत गंगाजली द्वारा अपनी रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया कि चक 12 बीएलडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 93/2 के किला नम्बर 1, 10 व 11 में 3 बीघा कमाण्ड भूमि पर कोई सार्वजनिक कुण्ड नहीं है तथा ना ही इस भूमि में कुण्ड की कोई आवश्यकता है, यह भूमि काश्त काबिज है, तथा उक्त भूमि आराजीराज दर्ज करके काश्तकार खलीलखॉ पुत्र मुराद खॉ को आवंटित की जाती है ग्राम पंचायत गंगाजली को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर गैर मुमकिन कुण्ड होना उक्त दोनों रिपोर्ट के अनुसरण में अपने आप में संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रकरण में चूंकि संबंधित पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय इस आश्य की कोई रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के विधिवत आवंटन के पश्चात् मौके की रिपोर्ट पूर्व की रिपोर्ट से भिन्न प्रस्तुत किया जाना भी प्रकरण में संदेह उत्पन्न करता है। प्रकरण में एक तरफ तो अन्य आवेदक हीराराम पुत्र गोमाराम, बीरबलराम पुत्र भैराराम व सियाराम पुत्र केहराराम द्वारा पूर्व में अपीलांट् के पक्ष में आवंटन पर सहमति स्परूप अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, व कालान्तर में उनके द्वारा ही उक्त भूमि के आवंटन की मांग किया जाना, व उक्त भूमि के आवंटन की मांग पर वादग्रस्त भूमि अन्य आवेदकों को आवंटित नहीं करते हुए अपीलांट् के आवंटन को इस आधार पर खारिज किया जाना कि मौके पर गैर मुमकिन कुण्ड है, विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि जब अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत था कि उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट् को दिनांक 19—03—2015 को विधिवत किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उनके स्वयं के द्वारा अपीलांट् को किये गये विधिवत आवंटन को अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना खारिज किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी व्यथित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—06—2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3/8/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते

3/8/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर